न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी : रतनकुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : 173/2018

मोहनराम पुत्र श्री फुसाराम, उम्र 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 1 नया बास रतनगढ़ रोड़ कस्बा छापर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. कुन्दनमल पुत्र भंवराराम
2. करणाराम पुत्र भंवराराम
3. गोपालराम पुत्र भंवरराम
4. छोटूदेवी पत्नी भंवरराम
5. थानाराम पुत्र भंवरराम
6. रतनाराम पुत्र भंवरराम
7. रामचन्द्र पुत्र भंवरराम

} समस्त जाति जाट निवासीगण कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूलाल बोहरा व श्री राजाराम बोहरा –वास्ते प्रार्थी
2. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप पारीक –वास्ते अप्रार्थी संख्या 1 कुन्दनमल

:– आदेश –: दिनांक : 31.05.2019

प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 220 तादादी 13 बीघा 02 बिश्वा वाके रोही छापर तहसील सुजानगढ़ में स्थित है। प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नम्बर 220 में आवागमन हेतु कोई कटाणी रास्ता मौजूद नहीं हैं। प्रार्थी के उक्त खेत के दक्षिणी तरफ उक्त अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 215 स्थित हैं।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

उक्त खेत खसरा नम्बर 215 की दक्षिणी सींव के पास–पास ग्राम बेनाथा से बोथियासर ग्राम को जाने वाला कटाणी रास्ता स्थित हैं। प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नम्बर 220 में प्रवेश करने हेतु अप्रार्थीगण के उक्त खेत खसरा नम्बर 215 की दक्षिणी सींव के पास–पास जाने वाले उक्त कटाणी रास्ते से उक्त खेत खसरा नम्बर 215 की पश्चिमी सींव के पास–पास से होकर एक बहुत पुराना कच्चा रास्ता मौके पर मौजूद हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के उक्त खेत में प्रवेश करने हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं हैं। उक्त रास्ता काफी पुराना रास्ता हैं लेकिन उक्त रास्ते का अंकन अभी तक राजस्व रेकार्ड में नहीं किया गया हैं। प्रार्थी ने उक्त खेत खसरा नम्बर 220 सम्वत 2044 में पूर्व खातेदार से क्रय किया था। प्रार्थी द्वारा उक्त खेत क्रय करने से पुर्व उक्त खेत के पूर्व खातेदार उक्त रास्ते से ही उक्त खेत में आवागमन करते थे और उक्त खेत क्रय करने के पश्चात् व वर्तमान में प्रार्थी व उसके परिवारजन उक्त रास्ते से ही अपने उक्त खेत में आवागमन करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी के उक्त खेत में आवागमन हेतू मौके पर एक मात्र यही रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी की खातेदारी के उक्त खेत में आवागमन हेतू उपलब्ध उक्त रास्ते का सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं होने के कारण प्रार्थी के उक्त खेत के पड़ौसी खेत खसरा नम्बर 215 के खातेदार कुन्दनमल द्वारा अपने अन्य सह–खातेदारों से सांठ–गांठ करके समय–समय पर प्रार्थी के उक्त खेत में जाने वाले उक्त कच्चे रास्ते में गैर कानूनी रूप से बाधा उत्पन्न की जाती है, जिसके कारण प्रार्थी को अपने उक्त खेत में आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आदि आदि कथन करते हुए अन्त में प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 220 तादादी 13 बीघा 02 बिश्वा वाके रोही छापर में आवागमन करने के प्रयोजन के लिए अपने उक्त खेत के दक्षिणी तरफ स्थित खेत खसरा नम्बर 215 तादादी 9.5216 हैक्टेयर में से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने/नया मार्ग 16 फुट 6 ईंच (दो गट्ठा) का बनवाने व उक्त 16 फुट 6 ईंच (दो गट्ठा) चौड़ाई के प्रस्तावित मार्ग को राजस्व अभिलेख ''अक्स'' में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार अंकित करवाये जाने हेतू निवेदन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी खेत खसरा नम्बर 220 तादादी 13 बीघा 02 बिश्वा वाके रोही छापर व जमाबन्दी खेत खसरा नम्बर 215 तादादी 9.5216 हैक्टेयर वाके रोही छापर व खसरा नं. 215, 216, 220 को दर्शाते हुए नक्शा एक्स की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं नजरी नक्शा आदि पेश किया गया।

इस पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया और तहसीलदार सुजानगढ़ से इस न्यायालय के पत्र क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2018/1042 दिनांक 09.07.2018 के जरिये इस प्रार्थना पत्र में अंकित स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतू लिखा गया जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा भू.अ.नि. से मौका निरीक्षण करवाया जाकर मय नक्शा व फर्द मौका रिपोर्ट अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक : भू.अ./2018/1951 दिनांकित 24.07.2018 के सलंग्न कर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं व जरिये अपने अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 05.04.2019 को इकबाल जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे उसने प्रार्थी द्वारा

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

शपथ पत्र से समर्थित हस्तगत प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार सुजानगढ़ की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है, उक्त नवीन रास्ते का प्रस्ताव जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के नही होकर आत्यंतिक आवश्यकता है। तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी हेतु अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग प्रस्ताव के मामले में, पहुंचने के वेकेल्पिक साधन/रास्ते का अभाव है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने का कोई यथोचित कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 215 तादादी 9.5216 हैक्टेयर वाके रोही छापर में से अपने खेत खसरा नम्बर 220 तादादी 13 बीघा 02 बिश्वा वाके रोही छापर में आवागमन हेतू उक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांकित 18.07.2018 व नजरी नक्शा में दर्शितानुसार रास्ता प्राप्त करने व उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जाना न्याय हित में उचित हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वह वर्तमान खेत खसरा नम्बर 215 तादादी 9.5216 हैक्टेयर वाके रोही छापर में से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 220 तादादी 13 बीघा 02 बिश्वा वाके रोही छापर में आवागमन हेतू प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शितानुसार व तहसीलदार सुजानगढ़ की ओर से प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट में वर्णितानुसार उक्त खेत खसरा नम्बर 215 में से दो गठ्ठा का रास्ता कायम करके नियमानुसार उक्त दो गठ्ठे के रास्ते का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को डीएलसी की दुगनी दर पर राशि जमा कराने के पश्चात नियमानुसार अंकन करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को निरीक्षण रिपोर्ट दिनांकित 18.07.2018 व मय नजरी नक्शा की फोटो प्रतियों सहित अविलम्ब भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक **31.05.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ